



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244833  
CG-DL-E-31032023-244833

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]  
No. 196]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

संख्या 22/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 243(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम करती हैं, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात और निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 (एतश्मिन पश्चात् उक्त विनियम से संदर्भित किया गया है) में, विनियम 2 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) में, -

(i) उप-खंड (iii) में, परंतुक हटा दिया जाएगा और विराम चिह्न ":" के लिए विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-खंड (v) में, शब्दों "पांच लाख" के स्थान पर, शब्दों "दस लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 6 में, उप-विनियम (3) में, पहले परंतुक में, शब्दों "पाँच लाख" के स्थान पर, शब्दों "दस लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 451/12/2022-सीमाशुल्क V]

हरीश कुमार, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं. 87/98-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 नवंबर, 1998 को सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 9 नवंबर, 1998 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 86/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 769(अ), दिनांक 27 अक्टूबर 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

### No. 22/2023-Customs (N.T.)

**G.S.R.243(E).**— In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to further amend the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, namely: -

**1. Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the 1st April, 2023.

**2. In the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998 (herein after referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (2), in clause (e),-**

(i) in sub-clause (iii), the proviso shall be deleted and for the punctuation ":", the punctuation ";" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (v), for the words, "five lakh", the words "ten lakh" shall be substituted.

**3. In regulation 6 of the said regulations, in sub-regulation (3), in the first proviso, for the words "five lakh", the words "ten lakh" shall be substituted.**

[F. No. 451/12/2022-Cus.V]

HARISH KUMAR, Under Secy.

**Note:** - The principal notification No. 87/98-Customs (N.T.), dated the 9<sup>th</sup> November, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 662(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 1998 and was last amended vide Notification No. 86/2021-Customs (N.T.), dated the 27<sup>th</sup> October 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 769 (E), dated the 27<sup>th</sup> October 2021.